

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक— सचिका सं०-२०/यो०-०१/१३
प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक—

विषय— वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना के लिए केन्द्रांश राशि रू० 68,47,800/- (अड़सठ लाख सैंतालीस हजार आठ सौ मात्र) तथा उसका मैचिंग राज्यांश रू० 45,65,200/- (पौतालीस लाख पैंसठ हजार दो सौ मात्र) कुल रू० 1,14,13,000/- (एक करोड़ चौदह लाख तेरह हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय संकल्प संख्या-570, दिनांक 10.02.2014, राज्यादेश संख्या 415 दिनांक 27.01.2016 एवं राज्यादेश संख्या 416 दिनांक 27.01.2016 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्रांश राशि रू० 68,47,800/- (अड़सठ लाख सैंतालीस हजार आठ सौ मात्र) तथा उसका मैचिंग राज्यांश रू० 45,65,200/- (पौतालीस लाख पैंसठ हजार दो सौ मात्र) कुल रू० 1,14,13,000/- (एक करोड़ चौदह लाख तेरह हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है। कार्यक्रमवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लागत से संबंधित विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार होगी।

2. ऊपरवर्णित स्वीकृत केन्द्रांश राशि रू० 68,47,800/- (अड़सठ लाख सैंतालीस हजार आठ सौ) मात्र का व्यय बजट शीर्ष: मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-107 रेशम उत्पादन उद्योग, उप शीर्ष-0204 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माँग संख्या-23, विपत्र कोड P2851001070204 के विषय शीर्ष (20 03) प्रशिक्षण व्यय मद से रू० 2635800/-, (26 01) विज्ञापन और प्रकाशन मद से रू० 1080000/- तथा (28 01) व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद रू० 3132000/- विकलित होगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक आगणन से बजट उपबंध कराया गया है।

ऊपरवर्णित राज्यांश राशि रू० 45,65,200/- (पौतालीस लाख पैंसठ हजार दो सौ) मात्र का व्यय बजट शीर्ष: मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-107 रेशम उत्पादन उद्योग, उप शीर्ष-0304 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माँग संख्या-23, विपत्र कोड P2851001070304 के विषय शीर्ष (20 03) प्रशिक्षण व्यय मद रू० 1757200/-, (26 01) विज्ञापन और प्रकाशन मद से रू० 720000/-, तथा (28 01) व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद से रू० 2088000/- विकलित होगा। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंध उपलब्ध है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी सहायक उद्योग निदेशक (रे०), पूर्णिया द्वारा जिला कोषागार, पूर्णिया से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका के पक्ष में एकमुशत की जाएगी। राशि की निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.11 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका के द्वारा किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण करेंगे।

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या- २०/योजना ०१/१३ के पृष्ठ ८५/टि. पर दिनांक १०.०३.२०१७ को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक २५६१ वि(२) दिनांक १७.०४.१९९८ की कड़िका- २ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक ७३५५/वि(२) दिनांक ०५.१०.२००७ के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त राशि को अग्रिम के रूप में निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक १७.०४.१९९८ का अनुपालन करते हुए माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २०/योजना-०१/१३

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २०/योजना-०१/१३

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सहायक उद्योग निदेशक (२०), पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- २०/योजना- ०१/१३

९५४

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सदस्य सचिव केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलूरु/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा-१(स०), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा-१(स०)/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

10/03/2017

37
आई०टी० मैनेजर

वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना के लिए कार्यक्रमवार स्वीकृत राशि की विवरणी -

अनु0-1

क्र० सं०	कार्यक्रम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत (रु०)	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	कुल लागत (रु० लाख में)	मद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्युनिटी मोबीलाइजेशन							व्यवसायिक एवं विशेष सेवा (28 01)
	वाणिज्यिक कीटपालक समूह का पोषण	सं०	60	5000	1.800	1.200	3.000	
	सी०आर०पी० का विकास	सं०	20	25000	3.000	2.000	5.000	
	उत्पादक समूह संस्था का निर्माण	सं०	5	100000	3.000	2.000	5.000	
	सी०आर०पी० का मानदेय	सं०	49	80000	23.520	15.680	39.200	
	योग				31.320	20.880	52.200	
2	मानव संसाधन विकास							प्रशिक्षण व्यय (20 03)
क	उद्यमिता विकास	सं०	1	400000	2.400	1.600	4.000	
ख	तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	सं०	1	100000	0.600	0.400	1.000	
ग	लाभुक प्रशिक्षण कार्यक्रम							
	वाणिज्यिक कीटपालक	सं०	2200	1500	19.800	13.200	33.000	
	चौकी कीटपालन केन्द्र संचालक	सं०	23	3000	0.414	0.276	0.690	
	मोटराईज्ड चरखा रीलर	सं०	8	3000	0.144	0.096	0.240	
	योग				20.358	13.572	33.930	
घ	अध्ययन भ्रमण/एक्सपोजर	सं०	100	5000	3.000	2.000	5.000	
	योग (क से घ तक)				26.358	17.572	43.930	
3	प्रचार एवं प्रसार							विज्ञापन और प्रकाशन (26 01)
	कृषक दिवस	सं०	36	25000	5.400	3.600	9.000	
	पासबुक/बुलेटीन आदि की छपाई	सं०	-	-	3.000	2.000	5.000	
	कार्यशाला/सेमिनार	सं०	1	400000	2.400	1.600	4.000	
	योग				10.800	7.200	18.000	
	कुल योग				68.478	45.652	114.130	

(स्वीकृत केन्द्रांश राशि रु० अड़सठ लाख सैंतालीस हजार आठ सौ मात्र एवं राज्यांश राशि रु० पैंतालीस लाख पैंसठ हजार दो सौ मात्र कुल राशि रु० एक करोड़ चौदह लाख तेरह हजार मात्र)

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।